फर्द अहकाम

संगीता बनाम भगवती

...पत्र संख्या: 109 /2024

...या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील वादी ने दिनांक 17.09.2024 को वाद को नोट प्रेस आदेशिका पर अंकित किया। दिनांक 17.09.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दिवानी मय काउटर क्लेम पेश किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 151 सुनी गई। बहस उभयपक्ष व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर पाया कि वादी की ओर से पेश वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु लम्बित है। वादी अधिवक्ता अपने वाद को आगे नही चलाना चाहते है नोट प्रेस कर वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी का पत्रावली में पूर्व से काउण्टर क्लेम उपलब्ध नहीं है। वादी के नोट प्रेस किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र 151 जाप्ता दिवानी मय काउटर क्लेम पेश किया है। अतः प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादी का वाद नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:44 IST
Reason: SelfAttested